न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 25/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

भव्यदयाल पुत्र श्री रामदयाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मूण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 16.11.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर मि. 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तालाब से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम मूण्डली में साबिक खसरा नं. 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाब दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाब के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2069–72 अप्रार्थी के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाब राजकीय रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि खसरा नंबर 532

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:28 IST
Reason: SelfAttested

का रकबा एवं किस्म नही दर्शायी है, सम्वत् 2044–63 की बंदोबस्त कार्यवाही में कायम किये गये खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. की मौका स्थिति अनुसार किस्म नहरी–1 दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को मौजूदा स्थिति अनुसार आराजी की किस्म दर्ज करने का बैधानिक अधिकारी होने से उक्त रेफरेंस अस्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय डी.बी सिविल जन याचिका संख्या 1563/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश निर्णय दिनांक 02.08.2004 के बिन्दुओं की परिधी में अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. प्रतिबंधित नही है, खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. आराजी जो मौके पर वर्षो से काश्त की जा रही है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी को खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल से 5,00,000/– रूपये प्रतिफल अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2014 से क्रय की है। अप्रार्थी उक्त आराजी का रजिस्टर्ड मालिक स्वामी होने से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेंस पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने से निरस्तनीय है। प्रस्तुत रेफरेंस में मूल आवंटी एवं आंवटी के विधिक वारिसान को पक्षकार नही बनाया है। विवादित आराजी कब और किसे आवंटित हुई आवंटी को कब दखल दिया, वक्त आवंटन खसरा नं. 645 की मौजूदा भौतिक स्थिति की किस्म की जांच पड़ताल बाबत वर्णन नही होने से रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रकृति परिवर्तनशील है, थल व जल की भौगोलिक स्थितियां सदैव परिवर्तनीय रही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., किस्म किस्म नहरी । अप्रार्थी खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2014–23 ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम मूण्डली में साबिक खसरा नं. 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाब दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाब के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., नहरी । कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, तथा वर्तमान में उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 अप्रार्थी के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

4– अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य भूमि स्थित है। मौके पर कोई तालाब नहीं है। अप्रार्थी द्वारा खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत से प्रतिफल अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। अप्रार्थी उक्त आराजी का रजिस्टर्ड मालिक स्वामी है। प्रस्तुत रेफरेंस में मूल आवंटी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:28 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार नही बनाया गया हैं। प्रस्तुत रेफरेंस में मौके की रिपोर्ट तथा किस्म बाबत् जांच नही की गई, एवं विधि सम्मत प्रक्रिया नही अपनाई गई। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम मूण्डली की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी के खाते दर्ज है। मूण्डली की आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2014—23 उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 532 रकबा रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 532 रकबा रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014—23 किस्म गै0मु0 तलाब दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044—63 में ग्राम मूण्डली की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मूण्डली में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.68 है. किस्म नहरी—I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 532 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाब से बना है, जो महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 16.1[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:28 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)